मांगीलाल पिता कन्हैयालाल मु0 बेगा धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां

.....प्रार्थी

बनाम

नन्दुबाई धाकड पत्नि रामलाल धाकड निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां।

.....अप्रार्थी

उपस्थितः—
छीतरलाल धाकड अधिवक्ता प्रार्थी
जगदीश चन्द धाकड अधिवक्ता अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा आरटीए 251 ए (1)

:—निर्णयः— दिनांक 16.01.2018

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी की भूमि ग्राम बेरीसाल आराजी नं0 105 रकबा 4 बीधा है विपक्षी की भूमि ग्राम बेरीसाल की आराजी नं0 99 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा है। प्रार्थी को अपने स्वामित्व की भूमि पर आने जाने के लिये विपक्षी के नाम आराजी नं 99 के दक्षिणी पूर्व मेड से होकर 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के आराजी नं0 105 में जा रहा है। प्रार्थी एंव पूर्व खातेदारगण कई वर्षो से निरनतर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराज़ीयात पर काश्त की जा रही है वर्तमान में भी रास्ते के चिन्ह मौजुद है। विपक्षी की उक्त आराजीयात संख्या 99 में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी की सामना करना पड रहा है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है प्रार्थी उक्त रास्ते से आने जाने हेतु मार्ग अवरुद्व कर दिया है। प्रार्थी बिपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 12 फीट चौडे रास्ते को रिकार्ड में लेने के बदले में तय किया जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुहावजा भुगतान करने को तैयार है। अतः राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाना फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवाई गई।

विपक्षी की और से श्री जगदीश चन्द धाकड अधिवक्ता ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खातेदार प्रार्थी की इसी चक में और भी कृषि भूमि है। जिसका विवरण नही दिया गया है। प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन आराजी नं0 108 है जो आराजी नं0 105 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थी किस रास्ते का उपयोग करता है। स्पष्ट नही किया। प्रार्थी ने तथ्य छुपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। रास्ते में आने वाली भूमि आराजी नं0 468/106 के खातेदार को जानबुझकर पक्षकार नही बनाया गया जो कि आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थी एंव विपक्षी के पति रामलाल के मध्य आवासीय भूखण्ड को लेकर वाद पत्र चल रहे है इस कारण प्रार्थी ने विपक्षी व उसके पति को मानसिक रुप से परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने केवल विपक्षी की आराजी से ही रास्ता मांगा है केवल आराजी नं0 105 के लिए। प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि सामलाती में आराजी नं0 108 भी स्थित है जो आराजी नं0 105 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से सट्टी हुई है। प्रार्थी आराजी नं0 108 पर पहुचने के लिए किस रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उसका कही विवरण नही दिया गया है। प्रार्थी आराजी नं0 108 पर पहुचने के रास्ते से ही आराजी नं0 105 पर पहुचता है। किन्तु रंजिशवश प्रार्थी नया रास्ता कायम करवाना चाहता है जबकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है प्रार्थी नये सिरे से

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नही है। पूर्व में जिस रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा है उसी को दर्ज कराने का अधिकारी है प्रत्येक आराजी के लिए अलग अलग रास्ता दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नही है रास्ता दो खेतो की मध्य मेड से दिया जाता है और मेड के दौनो तरफ के खातेदार कों पक्षकार बनाकर वाद पत्र पेश करना चाहीये था किन्तु प्रार्थी ने रंजीशवश अकेले विपक्षी के खेत में रास्ता मांग कर गलत वाद पत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन आराजी नं0 108 भी आराजी नं0 105 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित है जो ग्राम बेरीसाल से नजदीक है प्रार्थी आराजी नं0 108 पर पहुचने के रास्ते से ही आराजी नं0 105 पहुचता है किन्तु रंजीशवश प्रार्थी विपक्षी के खेत में नया रास्ता कायम करवाना चाहता है जब कि वैकल्पिक अन्य रास्ता आराजी नं0 108 से होकर आबादी क्षेत्र बेरीसाल में पहुचता है जो प्रार्थी के लिए सुविधायुक्त है। नजरी नक्शा में आने वाली भूमि सिर्फ विपक्षी की दर्शायी है। जबकि मेड के मध्य से दोनो तरफ के खातेदार को पक्षवार बनाकर रास्ते की मांग किया जाना न्यायोचित था किन्तु रंजिशवश अकेले विपक्षी की आराजी से रास्ते की मांग की गई जो गलत है। प्रार्थी ने आराजी नं0 370 एंव 468/106 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया इसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है प्रार्थी ने 468/106 के खातेदार को पक्षकार इस लिये नही बनाया क्योकि उसके परिवार का व्यक्ति है। जबकि वह आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में भूमि की मौका स्थिति हेतु रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक 51 दिनांक 17.05.2016 से मय मौका ट्रेस प्रस्तुत किया। पक्षकारान इस मौके पर्चे में अंकित तथ्यो के समान नही होने से पुनः रिपोर्ट मौका रिपोर्ट तलब की गई। जो पत्रांक 1622 दिनांक 24.11.2017 में पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेरीसाल की आराजी नं0 105 रकबा 4.00 बीघा प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी द्वारा आराजी नं0 99 रकबा 5.09 बीघा भूमि नन्दुबाई पत्नि रामलाल धाकड सा0 बिजौलियां खुर्द के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड से अपने खेत में जाने हेतु रास्ता चाहता है पूर्व में रिपोर्ट के आधार पर आराजी नं0 99 की दक्षिणी मेड पर 56 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई तथा पश्चिमी मेड पर 48 मीटर लम्बाई 4 मीटर चौडाई प्रार्थी रास्ता चाहता है। प्रार्थी वर्तमान में यही से निकलता है परन्तु अप्रार्थी आराजी नं0 99 की पश्चिमी मेड पर रास्ता नही देना चाहता है एंव अप्रार्थी वक्त मौके पर्चे के समय पर भी न ही उपस्थित हुये।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का जिक्र करते हुये विपक्षी के नाम दर्ज भूमि ग्राम बेरीसाल आराजी नं0 99 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा में से 12 फीट रास्ते की मांग की है प्रार्थी के पास विकल्प में रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराना फ़रमावे।

अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया तथा बताया कि मौके पर आज भी काश्त हो रही है विकल्प में रास्ता है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ते के संबंध में दोनो तरफ के खातेदारान को पक्षकारान बनाना चाहीये था। प्रार्थी जिस वर्ष अकेले विपक्षी के खेत में रास्ता मांग कर प्रार्थना पत्र गलत रुप से पेश किया है जो काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी ने आराजी नं0 468/106 के खातेदार को पक्षकार इसलिये नही बनाया क्योकि उसके परिवार का व्यक्ति है जबकि वह आवश्यक पक्षकार मुकदमा है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद में अंकित तथ्यो पर मनन किया गया। प्रार्थी की ग्राम बेरीसाल में खसरा नं0 105 रकबा 4 बीघा भूमि है। प्रार्थी की भूमि

अनुसार खसरा नं0 108 तक का पहुच मार्ग ग्राम बेरीसाल की आबादी क्षेत्र में पहुच है। अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी ने खसरा नं0 370 व 468/106 के खातेदार को पक्षक नही बनाया है प्रार्थी आराजी नं0 468/106 से रास्ता क्यो नही लेना चाहते है प्रार्थ पत्र में अंकित नही किया है। प्रार्थी ने एक खातेदार से ही रास्ता चाहा है जबकि रा के दोनो तरफ को भी आवश्यकता अनुसार रास्ता चाहने हेतु पक्षकार बनाना चाही बर्डन सामूहिक होनी चाहीये न की किसी एक खातेदार पर। प्रार्थी की भूमि मौके पडत नही होकर काश्त हो रही है वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रस्तुत प्रार्थना अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आरटीए 251 ए (1) के तहत खा किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया